विभागीय अधिसूचना 6 6/2001/28 दिनांक 6-10-03 का
हिन्दी अनुवाद ।

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: एफ. 6(54)रेवे-6/2001/3 जयपुर दिनांक 7.2.2004

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) की धारा 100 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम 1959 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात:-

1. <u>संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ</u>- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन (तृतीय संशोधन) नियम 2003 है ।
(11) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. <u>नियम 11 का हटाया जाना</u> - राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आवंटन नियम, 1959, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट निर्दिष्ट किया गया है का विद्यमान नियम 11 हटाया जायेगा ।

3. नियम 11 क का संशोधन- उक्त नियमों के नियम 11 क के खण्ड(11) और उसके परन्तुक और खण्ड(4) और उसके द्वितीय परन्तुक में जहाँ कहीं भी विद्यमान अभिव्यक्ति"और संपरिवर्तन या अभिव्यक्ति" या संपरिवर्तन" आयी हो उसे हटाया जायेगा ।

4. नियम 13 का हटाया जाना- उक्त नियमों का विद्यमान नियम 13 हटाया जायेगा ।

राज्यपाल के आदेश से,

(बी.एस. मीणा)
शासन उप सचिव